(18)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक एक/पुनर्विलोकन/विदिशा/भू.रा./2018/0088 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.11.2017 पारित द्वारा राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 2363/एक/2016.

---

1. गिरीश कुमार पुत्र स्व. श्री कृष्णगोपाल
2. भगवतीबाई विधवा स्व. श्री कृष्णगोपाल
3. ममता गोयल पत्नी श्री अशोक गोयल
   निवासीगण कृषि सेवा केन्द्र, सब्जीमण्डी हरदा, म.प्र.
4. चित्रा मित्तल पत्नी श्री कमल कुमार मित्तल
   निवासी 79, मुरारी मोहल्ला, इंदौर, म.प्र.
5. रेखा बंसल पत्नी श्री हरिओम बंसल
   निवासी मालवी ब्रिज स्कूल के पास,
   हाथीवाडा, इंदौर, म.प्र.
6. शिखा बसंल पत्नी श्री योगेश कुमार अग्रवाल
   निवासी गणेश वर्तन भण्डार, बुधवारिया बाजार,
   हीरापुर, जिला राजगढ़, म.प्र.
7. रूचि अग्रवाल पत्नी श्री नरेन्द्र अग्रवाल
   निवासी 106, गुप्ता कॉलोनी, महू, इंदौर
8. गणेशराम पुत्र श्री देवीराम
   निवासी ग्राम छीरखेड़ा, तहसील व जिला विदिशा
9. सुरेश कुमार पुत्र श्री नंदलाल
   निवासी ग्राम अमझिरा, तहसील हुजूर,
   जिला भोपाल, म.प्र.
10. नंदलाल पुत्र दुलीचंद
    निवासी ग्राम अमझिरा तहसील हुजूर,
    जिला भोपाल, म.प्र.

...............आवेदकगण

विरूद्ध

1. घनश्याम पुत्र श्री फुल्ला गौंड
2. राधे पुत्र श्री फुल्ला गौंड

3. कमल पुत्र श्री फुल्ला गौंड
4. पतंगबाई पुत्री श्री फुल्ला गौंड

   निवासीगण ग्राम छिरखेड़ा,

   तहसील व जिला विदिशा
5. करण पुत्र श्री बटन
6. सूरज पुत्र श्री बटन
7. लक्ष्मीबाई पुत्री श्री बटन
8. कलाबाई पुत्री श्री बटन पुत्र एवं पुत्री

   नाबालिग द्वारा संरक्षक घनश्याम पुत्र फुल्ला

   निवासीगण ग्राम छिरखेड़ा,

   तहसील व जिला विदिशा
9. चुन्नी पुत्र श्री बुटइयां आदिवासी
10. पन्नालाल पुत्र स्व. सेवा
11. भीकम सिंह पुत्र स्व. सेवा
12. गजराज सिंह पुत्र स्व. सेवा

    निवासीगण ग्राम छिरखेड़ा,

    तहसील व जिला विदिशा
13. श्रीमती धन्याबाई बेवा हल्कू
14. पानबाई पुत्री हल्कू
15. राधाबाई पुत्री हल्कू
16. मोहनबाई पुत्री हल्कू
17. कमला बाई पुत्री हल्कू

    निवासीगण ग्राम छिरखेडा,

    तहसील व जिला विदिशा ....अनावेदकगण

श्री डी.के. पासी व श्री दीपक शर्मा, अभिभाषकगण, आवेदकगण

श्री बी.एन. त्यागी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/6/19 को पारित)

आवेदकगण द्‌वारा यह पुनर्विलोकन पत्र म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्‌वारा पारित दिनांक 14.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि संहिता की धारा 170(ख) के प्रावधानों के तहत राजस्व निरीक्षक स्तरीय गठित समिति के द्‌वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 07.05.1982 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि ग्राम छीरखेडा स्थित प्रश्नाधीन भूमि आदिवासी बुटईया फोत, फुल्ला, बेरा, चुन्नी, सेवा व हल्का पुत्र बुटईया जाति गोंदिया के नाम भूमि स्वामी हक में दर्ज थी। अब यह भूमि कृष्णगोपाल पुत्र अमरचंद जाति महेश्वरी निवासी विदिशा के कब्जे में है। भूमि कैसे प्राप्त हुई, इसका कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया है। समिति ने संहिता की धारा 170(ख) के अंतर्गत कार्यवाही की जाना उचित बताया गया है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्‌वारा प्रकरण दर्ज कर आदेश दिनांक 23.08.1985 द्‌वारा प्रतिवेदन अमान्य किया गया। इस आदेश के विरूद्ध शासन द्‌वारा कलेक्टर, विदिशा के यहां अपील पेशी की गई। कलेक्टर ने अपील में दिनांक 20.01.1986 को आदेश पारित करते हुये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 23.03.1985 का आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानियां क्रमश: अपर आयुक्त एवं राजस्व मण्डल द्‌वारा निरस्त की गई। राजस्व मण्डल के आदेश के विरूद्ध कृष्णगोपाल आदि द्‌वारा पुनर्विलोकन प्रकरण क्र. 1934/2000 प्रस्तुत किया गया, जो राजस्व मण्डल द्‌वारा आदेश दिनांक 19.9.2007 द्‌वारा निरस्त किया गया। राजस्व मण्डल से प्रकरण वापिस प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण दर्ज कर आदेश दिनांक 17.08.2009 द्‌वारा राजस्व निरीक्षण समिति द्‌वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अमान्य किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्‌वारा अपर कलेक्टर के समक्ष अपील पेश की गई, जिसमें अपर कलेक्टर ने दिनांक 22.09.2015 को आदेश पारित करते हुये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया एवं प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 27 रकबा 1.087, सर्वे क्र. 34 रकबा 2.049, सर्वे क्रमांक 64 रकबा 0.293 एवं सर्वे क्रमांक 66 रकबा 0.575 हैक्टेयर पर दर्ज समस्त नामांतरण निरस्त करते हुए बुटईया आदिवासी के विधिक वारिसानों के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये। अपर कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्‌वारा निगरानी राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो कि आदेश दिनांक 14.11.2017 से निगरानी निरस्त कर अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा गया। राजस्व मण्डल के इसी आदेश के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय ने अपना आदेश पारित करने से पूर्व इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि अनुविभागीय अधिकारी के मूल प्रकरण क्र. 28/अ-23/1981-82 के विरूद्ध शासन द्वारा आर.एम. शाखा के माध्यम से कलेक्टर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। उक्त प्रकरण में कलेक्टर द्वारा स्वयं अपने आदेश में यह माना था कि प्रकरण में धारा 170(ख) लागू नहीं होती है तथा मौरूसी काश्तकार के संबंध में जांच कर पुन: आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था। ऐसी दशा में धारा 170(ख) के प्रश्न पर जो पूर्व में ही वरिष्ठ न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जा चुका है, के आधार पर पुन: 170(ख) के अंतर्गत आदेश पारित करना विधि विरूद्ध होकर निरस्ती योग्य है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय ने अपना आदेश पारित करने में न्याय मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है। माननीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन वर्तमान आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के तारतम्य में करने से स्वयं स्पष्ट हो जायेगा कि अधीनस्थ न्यायालय ने "आदेश के 09 पेजों में चरण 4.5 तक पूर्व के प्रकरण का उल्लेख करते हुए मात्र चरण 5, 6 एवं 7 में अपना निष्कर्ष निकालते हुए पुन: धारा 170(ख) संशोधन अधिनियम, 1980 में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख किया है", किंतु उन वर्णित प्रावधानों को समझने में गंभीर वैधानिक भूल करते हुए अपना विपरीत निष्कर्ष निकाला है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश के चरण 07 में अपना यह मत निर्धारित करते हुए आदेश पारित किया है कि "बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से वर्तमान अनावेदकगण के पिता का नाम विलोपित करना धारा 170(ख) का उल्लंघन है" जबकि उसको स्वत्व प्राप्त हो चुके थे। न्याय के विपरीत जाकर बिना दस्तावेजों का अवलोकन किये निकाला है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड का अवलोकन किया जाता, तो यह स्पष्ट हो जाता कि वादग्रस्त भूमि पर वर्तमान अनावेदकगण के पिता बुटैया का नाम अंकित ही नहीं रहा है, तो किसी सक्षम अधिकारी का आदेश होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि किसी एक दस्तावेज में अनावेदकगण के पिता का नाम कब्जेदार के रूप में अंकित है, तो भी उसे किसी तरह का स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में स्पष्ट प्रावधान है कि "राजस्व संहिता प्रवर्त होने की दिनांक पर यदि किसी भूमिस्वामी की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है, तो वह निर्धारित समयावधि में संहिता की धारा 190 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है", परंतु वर्तमान प्रकरण में

अनावेदकगण के पिता द्वारा कोई आवेदन ही प्रस्तुत नहीं किया गया है और स्वत्व का निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है, ऐसी दशा में वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने संहिता में वर्णित प्रावधानों के विपरीत जाकर क्षेत्राधिकारविहीन आदेश पारित किया है, जो विधि की दृष्टि से शून्य है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की अनावश्यक संहिता में वर्णित धारा 170(ख), 185 एवं धारा 190 के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों की जांच होनी चाहिए कि रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, क्या वास्तव में धारा 170(ख), 185 एवं 190 की परिधि में आता है अथवा नहीं, क्योंकि तीन धाराओं में वर्णित प्रावधान अलग-अलग हैं एवं विहित प्राधिकारी एवं अनुतोष प्राप्त करने की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न है। राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रावधानों के तहत आपत्ति ली थी, तदुपरांत प्रकरण इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न्यायालय को उक्त जांच कराने के निर्देश देने का अधिकार एवं आलोच्य आदेश निरस्त करने के प्राप्त हैं।

(5) आदिम जनजाति के आवेदकगण को धारा 170(ख) के अंतर्गत उपर बताई परिस्थितियों में किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते ऐसी परिस्थिति में यदि त्रुटिवश यदि उन्हें कोई अधिकार प्रदान किया जाता, तो वह संहिता की धारा 115 के शर्तों के अंतर्गत काल्पिनिक आधार पर लाभ पहुंचाने की श्रेणी में आता है। इस संबंध में 1998 में राजस्व निर्णय 296 पूरी तरह इस प्रकरण में प्रभावी होते हैं, इस कारण मूल आदेश जो दिनांक 22.03.2018 को पुनर्विचार कर निर्णीत किया जाना न्याय संगत है।

(6) संपूर्ण प्रकरण में अपीलीय एवं निगरानी न्यायालय में संहिता की धारा 170(ख) के प्रावधानों को लागू मानकर न्यायालय ने दिनांक 22.03.2018 को जो आदेश पारित किया है, वह आदेश राजस्व न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि यदि स्वामित्व का विवाद दोनों पक्षकारों के बीच विवादित पाया जाता है, उसका निराकरण केवल सिविल कोर्ट द्वारा ही निर्णीत किया जा सकता है। इस संबंध में 1999 आर.एन. 328, 2000 आर.एन. 141 तथा 224 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं। इसलिए इस प्रकरण में संहिता की धारा 170(ख) के अंतर्गत विवाद होना मानकर जो दिनांक 22.03.2018 को पुनर्विचार कर निर्णीत किया जाना न्याय संगत है।

अतः उनके द्वारा पुनर्विलोकन पत्र स्वीकार कर न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसे कोई आधारों का उल्लेख नहीं किया है, जिनके आधार पर पारित आदेश दिनांक 14.11.2017 का पुनर्विलोकन कर अपास्त किया जा सके, क्योंकि संहिता की धारा 51(2) में स्पष्ट प्रावधान है कि-

51(2)- No Order shall be reviewed except on the grounds provided for in the Court of Civil Procedure, 1908 (V of 1908). एवं व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 47 में पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है, जिसके अनुसार पुनर्विलोकन केवल उन्हीं आदेशों का हो सकता है, जिसमें अभिलेख के देखने से ही प्रकट होती हो, परंतु प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा कोई आधार आवेदकगण की ओर से नहीं लिया गया है। इस कारण आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसा कोई आधार का उल्लेख नहीं किया गया था, जो कि उपरोक्त धारा 50 से प्रावधानों के अनुसार हों, इस कारण आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन पत्र प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 14.11.2017 के द्वारा निरस्त किया गया और अब आवेदकगण द्वारा अपने पुनर्विलोकन आवेदन में भी ऐसा कोई आधार नहीं लिया है, जिसके आधार पर प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 14.11.2017 पुनर्विलोकन में लेकर निरस्त किया जा सके। अत: आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) प्रकरण में यह अविवादित है कि अनावेदकगण आदिवासी होकर आदिम जनजाति के सदस्य हैं, इस कारण संहिता की धारा 170(ख) के प्रावधान लागू होते हैं और आवेदकगण का यह कथन कि प्रकरण में धारा 170(ख) के प्रावधान लागू नहीं होते, प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में धारा 170(ख) के प्रावधानों का अवलोकन करने का अनुरोध किया गया।

(4) इस न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा चुका है कि धारा 51 के तहत पुनर्विलोकन का आवेदन पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 1 में वर्णित प्रावधानों के आधार पर ही स्वीकार किया जा सकता है, अन्य आधारों पर नहीं। इस संबध में काबेरी बाई बनाम रामचन्द्र 1980 आर.एन. 201, कृपाराम बनाम हंसराज 1992 आर.एन. 247, म.प्र. शासन बनाम अनिल कुमार 1986 आर.एन. 58, कैलाश चन्द्र बनाम म.प्र.शासन 1998 आर.एन. 382 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

अत: उनके द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निरस्त कर न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर ने वर्ष 1959 के पूर्व विवादित भूमि आदिवासी बुटईंया के नाम मौरूसी स्वत्व पर दर्ज होने के कारण उसे भूमि स्वामी के अधिकार प्राप्त होना माना है, जो अपने स्थान पर उचित है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि बुटईंया के नाम की प्रविष्टि बिना किसी सक्षम अधिकारी के प्रकरण एवं आदेश के विलोपित की गई है, जो कि आदिवासी के साथ हुए छल-कपट को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। इसीलिए अपर कलेक्टर ने प्रकरण में बुटईंया आदिवासी का नाम कपटपूर्वक प्रक्रिया अपनाई जाकर विलोपित किया जाना मानते हुए संहिता की धारा 170(ख) का स्पष्ट उल्लंघन माना है तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए विवादित भूमि पर बुटईंया आदिवासी के विधिक वारिसानों का नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिये गये हैं। अत: अपर कलेक्टर के उक्त वैधानिक आदेश को यथावत रखकर आदेश पारित करने में राजस्व मण्डल द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन अमान्य किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 14.11.2017 स्थिर रखा जाता है। उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन निरस्त किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर